

मुख्य आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER वस्तु एवं सेवाकर एवं सीमा शुल्क, विशाखापद्दणम क्षेत्र GOODS AND SERVICE TAX AND CUSTOMS, VISAKHAPATNAM ZONE



स्थापाना आदेश (अराजपत्रित)सं.29/2019 Establishment Order (N.G.O.) No.29/2019 दिनांक Dated: 12th December, 2019

केन्द्रीय कर, विशाखापहनम जोन के निरीक्षक के संबंध में प्रधान आयुक्त (सं.नि.प्रा.), हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जारी स्थापना आदेश सं.121/2019, दिनांक 09.12.2019 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री अविनाश मनेपल्ली, निरीक्षक को आबंटन के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेश तक के लिए विशाखापहनम जीएसटी आयुक्तालय में तैनात किया जाता है।

Pursuant to issue of EO(N.G.O.) No.121/2019 dated 09.12.2019 by Principal Commissioner(CCA), Hyderabad GST Commissionerate regarding transfer of Inspector of Central Tax to the Visakhapatnam Zone, with the approval of the Competent Authority, Shri Avinash Manepalli, Inspector is posted to Visakhapatnam GST Commissionerate on allotment with immediate effect and until further orders.

- 2. उपर्युक्त दिनांक 09.12.2019 के स्थापना आदेश (अ.प.)सं.121/2019, में उल्लिखित अन्य सभी नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।
 All the terms and conditions mentioned in the above EO(NGO)No.121/2019 dated 09.12.2019 remains unaltered.
- 3. आयुक्तालय में अधिकारी के कार्यग्रहण करने की तिथि एवं आगे की विशिष्ट पदस्थापना से मुख्य आयुक्त कार्यालय, विशाखापत्तनम क्षेत्र को सूचित किया जाए ।

 The date of joining and further specific posting of the officer in the Commissionerate may be intimated to CCO, Visakhapatnam Zone.
- 4. संबंधित दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए । Necessary entries may be made in the relevant records.

(अरविंद दास /Aravinda Das) (सहायक आयुक्त /Asst. Commissioner)

फाइल सं. सी.नं.II/03/05/2019-CC(VZ)Estt PF-IV] से जारी किया गया। [Issued from file C.No.II/03/05/2019-CC(VZ)Estt PF-IV]

सेवा में To संबंधित व्यक्ति को । The Individual.